एपीडा-जैविक /61/2024
दिनांक: 10.11.2026

विषय: भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जैविक उत्पादों के लिए अंतरिम पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (IMRA) का कार्यान्वयन

हमें यह सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि जैविक उत्पादों के व्यापार के संबंध में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य अंतरिम पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (IMRA) दिनांक 20 अक्टूबर 2026 से प्रभावशीलता में आ गई है।

इस IMRA के अंतर्गत न्यूजीलैंड को जैविक उत्पादों के निर्यात से संबंधित विस्तृत प्रक्रिया संलग्न है।

संबंधित सभी प्रमाणन निकायों और ऑपरेटरों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्ण रूप से यह सुनिश्चित करें कि न्यूजीलैंड को निर्यात किए जाने वाले उत्पाद इस व्यवस्था के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तथा वे NPOP (राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम) की आवश्यकताओं सहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सभी आवश्यक प्रावधानों का पूर्ण पालन करते हैं।

हस्ताक्षरित
(डॉ शाश्वती बोस)
सचिव

अंतरिम पारस्परिक मान्यता व्यवस्था

न्यूज़ीलैंड सरकार

और

भारत सरकार

न्यूज़ीलैंड सरकार और भारत सरकार के बीच दोनों देशों के मध्य जैविक खाद्य एवं कृषि उत्पादों के व्यापार से संबंधित

न्यूज़ीलैंड सरकार और भारत सरकार (प्रतिभागी)

न्यूज़ीलैंड और भारत के बीच जैविक खाद्य एवं कृषि उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाने की दिशा में,

दोनों पक्ष निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमत हुए हैं:

न्यूज़ीलैंड–भारत मुक्त व्यापार समझौते ('समझौता') के अंतर्गत जैविक खाद्य एवं कृषि उत्पादों के व्यापार से जुड़ी एक साइड-लेटर प्रतिबद्धता के आधार पर, दोनों प्रतिभागी इस बात के प्रमाणन के साथ कि जैविक उत्पाद किसी परस्पर स्वीकृत तृतीय देश के मानकों को पूरा करते हैं, दोनों देशों के बीच ऐसे उत्पादों के व्यापार को सुगम बनाने हेतु एक अंतरिम पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (IMRA) पर सहमत हुए हैं।

1. सक्षम प्राधिकारी

1.1 इस IMRA के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित हैं:

(i) न्यूज़ीलैंड सरकार के लिए:
क. प्राथमिक उद्योग मंत्रालय (MPI); और
(ii) भारत सरकार के लिए:
क. वाणिज्य विभाग के अधीन कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा); और
ख. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI)।

1.2 सक्षम प्राधिकारी इस IMRA के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संवाद को सुगम बनाने हेतु संपर्क बिंदु (Contact Point) के रूप में कार्य करने वाले संबंधित अधिकारियों के संपर्क विवरण एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

2. इस व्यवस्था का क्षेत्र और प्रभाव

2.1 भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जैविक उत्पादों की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (**IMRA**) दोनों देशों के बीच उस द्विपक्षीय व्यापार को नियंत्रित करती है जो खाद्य सुरक्षा और जैव-सुरक्षा मानकों के अनुकूल है। यह एक अंतरिम व्यवस्था है, जो तब तक प्रभावी रहेगी जब तक दोनों देश साइड-लेटर के तहत अपनी जैविक तकनीकी नियमावली और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं की समतुल्यता पर आपसी बातचीत पूरी कर औपचारिक व्यवस्था लागू नहीं कर लेते।"

2.2 इस IMRA के अंतर्गत पात्र जैविक उत्पादों में वे श्रेणियाँ शामिल हैं, जिन्हें भारत–ऑस्ट्रेलिया जैविक पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के तहत भारत से ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करने की अनुमति है; साथ ही, ये वे श्रेणियाँ भी हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया, ट्रांस-तस्मान पारस्परिक मान्यता व्यवस्था के अंतर्गत न्यूज़ीलैंड से आयात के लिए पात्र मानता है।

2.2.1 निम्नलिखित जैविक उत्पाद IMRA के क्षेत्र में शामिल हैं:

क. अप्रसंस्कृत पादप उत्पाद (ग्रीनहाउस में उगाए गए उत्पादों को छोड़कर);
ख. मानव उपभोग के लिए जंगली रूप से एकत्र किए गए पादप उत्पाद (जंगली मशरूम और जलीय पौधों को छोड़कर),
wild harvest plant products for human consumption (excluding wild mushrooms and aquatic plants)

ग. उप-खंड 2.2.1 क से 2.2.1 ख में दिए गए अवयवों से बने मानव उपभोग के लिए प्रसंस्कृत उत्पाद;
घ. फलों से बने मादक पेय;
ङ. खेती के लिए वानस्पतिक प्रवर्धन सामग्री और बीज;
च. ऐसे उत्पाद जिनमें न्यूनतम 95% जैविक अंश हो (संबंधित मानकों के अंतर्गत प्रमाणित)।

2.2.2 निम्नलिखित जैविक उत्पाद IMRA के दायरे से बाहर हैं:

क. ग्रीनहाउस में उगाए गए अप्रसंस्कृत पादप उत्पाद; (ग्रीनहाउस से तात्पर्य ग्रीनहाउस, काँच-गृह, पॉलीहाउस, नेट-हाउस या इसी प्रकार की संरचनाओं में आंशिक रूप से नियंत्रित परिस्थितियों में उगाई गई फ़सलों से है);
ख. जंगली रूप से एकत्र की गई कवक और जंगली रूप से एकत्र किए गए जलीय पौधे (wild harvested fungi and wild harvested aquatic plants)
ग. गोजातीय, सूकर, भेड़, बकरी, हिरण, अश्व, पक्षी, शुतुरमुर्ग-वर्गीय प्रजातियों और एपिस मेलिफेरा (मधुमक्खी) से प्राप्त मानव उपभोग के लिए पशु उत्पाद;
घ. उप-खंड (ग) में सूचीबद्ध प्रजातियों के जीवित पशु;
ङ. अप्रसंस्कृत या प्रसंस्कृत द्विकपाटी मोलस्क शंख-मछली उत्पाद;
च. अप्रसंस्कृत या न्यूनतम प्रसंस्कृत ऊन;
छ. अप्रसंस्कृत या प्रसंस्कृत शैवाल उत्पाद;
ज. मशरूम;
झ. पशु उत्पादों या अनाज से बने मादक पेय;
ञ. यीस्ट;
ट. चारे के रूप में उपयोग के लिए प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद;
ठ. ऐसे उत्पाद जिनमें 95% से कम जैविक अंश हो (संबंधित मानकों के अंतर्गत प्रमाणित)।

2.3 इस IMRA के अंतर्गत दोनों देशों के बीच व्यापार किए जाने वाले जिन उत्पादों को "जैविक" के रूप में वर्णित या लेबल किया गया हो, उनकी पहचान MPI या एपीडा द्वारा मान्यता प्राप्त जैविक चिह्न से की जानी चाहिए और उनके साथ MPI द्वारा जारी सीमा-निकासी प्रमाणपत्र अथवा एपीडा द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) के अंतर्गत जारी लेनदेन प्रमाणपत्र होना चाहिए, जो यह प्रमाणित करे कि जैविक उत्पाद अपने-अपने जैविक मानकों और इस IMRA की पात्रता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं।

3. सक्षम प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व

3.1 सक्षम प्राधिकारी अपने क्षेत्र में आयात और बिक्री के लिए प्रस्तुत जैविक उत्पादों की खेपों की समतुल्यता को परस्पर स्वीकार करेंगे, जहाँ जैविक उत्पाद की पहचान किसी प्राधिकृत जैविक चिह्न से की गई हो और खेप को इस IMRA के अनुसार न्यूज़ीलैंड के लिए MPI द्वारा अथवा भारत के लिए NPOP-मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

3.2 सक्षम प्राधिकारी एक-दूसरे को अपने जैविक प्रमाणपत्रों के प्रारूप और विषयवस्तु, अपने द्वारा प्राधिकृत जैविक चिह्नों तथा इस IMRA की अपेक्षाओं के अनुपालन को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के उदाहरण उपलब्ध कराएँगे। सीमा-निकासी (Customs Clearance) की प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने तथा प्रमाणन के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान को सुगम करने के लिए, IMRA की अपेक्षाओं के अनुपालन से संबंधित इन कथनों या शब्दों को संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले किसी भी स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (Health Certificate) में वैकल्पिक रूप से जोड़ा जा सकता है।

3.3 इस IMRA के प्रशासन के संदर्भ में प्रासंगिक होने पर, सक्षम प्राधिकारी संबंधित संपर्क बिंदुओं के माध्यम से एक-दूसरे को निम्नलिखित की अधिसूचना दी जाएगी:

क. अपने उत्तरदायित्वों या अपने द्वारा प्रशासित विनियमों में परिवर्तन;

ख. इस IMRA के प्रशासन से संबंधित चिंताएँ;

ग. संभावित धोखाधड़ी के चिह्नित मामले; या

घ. अननुपालन के महत्वपूर्ण मामले।

3.4 सक्षम प्राधिकारी इस IMRA के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी विषय को, व्यापार में अनावश्यक व्यवधान को न्यूनतम रखते हुए, सहयोग की भावना से सुलझाने का प्रयास करेंगे।

4. समीक्षा, संशोधन और समापन

4.1 इस IMRA में किसी भी समय दोनों प्रतिभागियों द्वारा लिखित रूप में पारस्परिक रूप से निर्णय लेकर संशोधन किया जा सकता है।

4.2 कोई भी प्रतिभागी, अननुपालन के विनिर्दिष्ट बार-बार होने वाले और अनसुलझे मामलों के लिए, दूसरे प्रतिभागी को तीन (3) माह में इस IMRA को समाप्त करने के आशय की लिखित सूचना दे सकता है।

4.3 दोनों प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने सक्षम प्राधिकारियों के बीच संवाद और चर्चा के माध्यम से किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयास किया जाएगा ।

4.4 जहाँ मुद्दे सुलझाए नहीं जा सकते और वे अनुच्छेद 4.2 के अंतर्गत समझौते की समाप्ति का आधार बनते हैं, वहाँ यह IMRA—प्रतिभागियों द्वारा आपसी सहमति से अन्यथा निर्णय लिए जाने की स्थिति को छोड़कर—समापन की औपचारिक सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन (3) माह पश्चात प्रभावी नहीं रहेगी। समापन की तिथि से पूर्व प्रमाणित और निर्यात किए गए जैविक उत्पादों की सीमा-निकासी (Customs Clearance) का सक्षम प्राधिकारी निरंतर सम्मान करते रहेंगे।

5. अवधि और प्रभाव

5.1 यह IMRA उसी तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को न्यूज़ीलैंड–भारत मुक्त व्यापार समझौता लागू होता है।
5.2 यह IMRA तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रतिभागी, न्यूज़ीलैंड–भारत मुक्त व्यापार समझौते के जैविक खाद्य एवं कृषि उत्पादों से संबंधित साइड-लेटर के अनुसरण में, एक-दूसरे के राष्ट्रीय जैविक तकनीकी विनियमों और अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं की पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (MRA) को संपन्न और प्रभावी नहीं बना देते, शर्त अनुसार इसे अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अंतर्गत पहले ही समाप्त न कर दिया जाए।

यूरोपीय संघ और स्विट्ज़रलैंड के अतिरिक्त अन्य देशों को जैविक उत्पादों के निर्यात हेतु ट्रांजैक्शन प्रमाणपत्र

1. प्रमाणन निकाय या प्राधिकारी (नाम और पता)	**2. ट्रांजैक्शन प्रमाणपत्र सं.**
3. उत्पादक/विनिर्माता (नाम और पता)	**4. निर्यातक (नाम और पता)**
5. प्रेषिती /प्राप्तकर्ता(Consignee) (नाम और पता)	**6. आयातक (नाम और पता)**
7. मूल देश	**8. गंतव्य देश**

9. चिह्न और संख्याएँ। उत्पादों का व्यापारिक नाम

उत्पाद	एचएस कोड	जैविक स्थिति	अनुपालन	लॉट सं.	मात्रा (मीट्रिक टन में)	व्यापारिक नाम	पैकेजिंग विवरण

10. ट्रांजैक्शन विवरण

क) आदेश / अनुबंध सं.

ख) इन्वाइस सं. और दिनांक:

क्र.सं.	इन्वाइस सं	इन्वाइस दिनांक

B/L/AWB/LR No.एवं दिनांक	परिवहन का माध्यम	कंटेनर सं./वाहन सं.

11. प्रमाणन निकाय द्वारा अतिरिक्त घोषणा

यह प्रमाणित किया जाता है कि:
(क) यह लेनदेन प्रमाणपत्र उपर्युक्त क्र.सं. 9 के अंतर्गत चिह्नित कार्यक्रमों के तहत अपेक्षित निरीक्षण से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् जारी किया गया है;
(ख) इस लेनदेन प्रमाणपत्र के जारी होने की तिथि को NPOP के अंतर्गत इस प्रमाणन निकाय की मान्यता वैध है;
(ग) उपर्युक्त जानकारी हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।
जारी करने की तिथि:
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और हस्ताक्षर

नोट: इस दस्तावेज़ की वास्तविकता जाँचने के लिए कृपया QR कोड स्कैन करें। अधिक जानकारी के लिए प्रमाणन निकाय से संपर्क करें, विवरण नीचे दिया गया है।
प्रमाणन निकाय का पता: दूरभाष सं.: फ़ैक्स:
ई-मेल: वेबसाइट: